


बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या:- 12/अ0प्र0-30-02/2018 17 /पटना, दिनांक- 8-1-25

वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 170 दिनांक 07.01.2025 के आलोक में CFMS 2.0 के तहत केन्द्र प्रायोजित स्कीमों हेतु SNA SPARSH Module के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 09.01.2025 को वित्त भवन, गर्दनीबाग,, पटना में 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक आहुत प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों /कर्मियों को प्राधिकृत किया जाता है:-

- (1) श्री प्रभाष चन्द्र सिंह, 'प्रबल', अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
- (2) श्री चन्दन कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-13, बजट)
- (3) श्री अमरजीत कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-12, लेखा)
- (4) सुश्री मेनका कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-13, बजट)
- (5) श्री प्रभात कुमार, वित्त प्रबंधक, ब्राडा
- (6) श्री कृष्ण चन्द्र चक्रधारी, उच्चवर्गीय लिपिक, मुख्य अभियंता-1
- (7) श्री राज कुमार, लेखा लिपिक, मुख्य अभियंता-निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण
- (8) श्री प्रमोद कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, मुख्य अभियंता-5
- (9) श्री रौशन कुमार, डाटा ईन्ट्री ऑपरेटर, मुख्य अभियंता-निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण



(डॉ० फातेह फैयाज)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-12/अ0प्र0-30-02/2018 237

/पटना, दिनांक- 8-1-25

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मि एवं आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव